संख्या-4-278/38-6-16-09(एनआरएलएम)/14

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक मार्च, 2016

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति मद (अनुदान सं0-81) में स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष अनुसूचित जाति मद(अनुदान सं0-83) से धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम के पत्रांक-588/372/आजीविका/लेखा/2015-16, दि0-08.03.2016 द्वारा अनुदान सं0-81(एससीएसटी) मद में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्रावधान के सापेक्ष आवंटन किये जाने के प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-जे0-12036/01/2015-आरएल(एनआरएलएम)-8सी, दि0-06.08.2015 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति अनुदान सं0-81 हेतु अवमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति मद अनुदान सं0-81 में प्राविधानित/उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष योजनान्तर्गत निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 75:25 के अनुसार शासनादेश सं0-30-1049/38-6-15-09(एनआरएलएम)/2014, दि0-08.09.2015 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-33-1130/38-6-15-09(एनआरएलएम)/14, दि0-21.09.2015 के माध्यम से रू0-1,66,61,133.00(के012870750+रा037,90,383) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- भारत सरकार द्वारा अनुदान सं0-81(अनुसूचित जनजाति मद) में अवमुक्त उक्त केन्द्रांश रू0-7,50,92.00 की अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने हेतु भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक-जे-12036/01/2015-आरएल, दि0-03.03.2016 जिसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कुल लाभार्थियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा के क्रम में मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम के प्रस्तावानुसार अनुदान सं0-81 (एससीएसटी) मद में बजट प्राविधान की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अनुदान सं0-83 में उपलब्ध बजट प्राविधान की अवशेष धनराशि से भारत सरकार के उक्त पत्र दि0-06.08.2015 के माध्यम से अवमुक्त धनराशि रू0-7,50,92,000.00 के विरूद्ध केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू0-6,22,21,250.00 तथा इसके सापेक्ष परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न 60:40 के अनुसार मैचिंग राज्यांश रू0-4,62,70,950 कुल केन्द्रांश तथा मैचिंग राज्यांश की धनरशि रू0-10,84,92,200.00(रू0 दस करोड चौरासी लाख बान्नवे हजार दो सौ मात्र) को आयुक्त, ग्राम्य विकास/ सी.ई.ओ., यूपीएसआरएलएम,/ मिशन निदेशक,

http://shasanadesh.up.nic.in

यूपीएसआरएलएम, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अनुदान संख्या-81(अनुसूचित जनजाति मद) हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त उक्त धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अनुदान सं0-81 की धनराशि को प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान सं0-83 की अवशेष धनराशि में से उपरोक्तानुसार अवमुक्त किये जाने की स्थिति में भारत सरकार से यदि इस बिन्दु पर कोई आपत्ति की जाती है तो उसका समाधान करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(2) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक वित्तीया नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि का व्यय एनआरएलएम के अन्तर्गत भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही होगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का पुस्तांकन अनुदान सं0-83 में ही सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं सम्बन्धित को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाय जिससे भारत सरकार से योजना में यथासमय द्वितीय किश्त प्राप्त हो सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2016 को समर्पित कर दी जाएगी।

(5) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/सी.ई.ओ., यूपीएसआरएलएम द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया किया जाय कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन अक्षरतशः किया गया है।

(6) इस संबंध में आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम- आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के.75/रा.25) के.+रा.-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन के शासनादेश दि0-27.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के तहत वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशा0सं0-296/दस-ई-2, दि0-22 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीया,

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4-278(1)/38-6-16 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
3- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
4- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, नवॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ।
7- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
11- राज्य योजना आयोग-1/2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in